सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-384/2022 **दिनांक- 18-नवम्बर-2022**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कंधरापुर

पशु व्यापारी की हत्या का अनावरण, लूट की नकदी ,अवैध असलहा व कारतूस बरामद, पुलिस मुठभेंड में एक बदमाश घायल/गिरफ्तार

पूर्व की घटना

दिनांक 13.11.2022 को जितेंद्र यादव पुत्र बलवंत यादव निवासी मातनपुर थाना कंधरापुर मोटरसाइकिल से भैंस खरीदने के लिए थाना क्षेत्र रानी की सराय में अपने दोस्त रितेश यादव के घर गया। जितेंद्र यादव के घर वापस न आने पर परिजनों द्वारा थाना कंधरापुर पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसी क्रम में गुमशुदा उपरोक्त के भाई श्रवण यादव द्वारा थानास्थानीय पर सूचना दी गई कि मेरे भाई जितेंद्र को हाथ-पैर बांधकर चढई पुल के पास तमसा नदी में फेंक दिया गया है। उक्त घटना के संदर्भ में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 15.11.2022 को मु.अ.सं. 267/22 धारा 302/201/34 भादवि बनाम 1-रितेश यादव पुत्र मुंशी यादव निवासी चढ़ई थाना रानी की सराय, 2-अब्दुल कादिर पुत्र जालीन निवासी मोर्चा मुजफ्फरपुर थाना कंधरापुर,3- माशूक अली पुत्र शाह निवासी मोर्चा मुजफ्फरपुर कंधरापुर, व रितेश के अन्य साथी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।

विवेचनात्मक कार्यवाही

विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि मनदीप यादव व श्रवण यादव मृतक जितेंद्र यादव के मित्र थें मृतक जितेन्द्र यादव अक्सर चढई गांव भैंस की खरीद फरोख्त के लिए जाता रहता था। मनदीप और श्रवण यादव ने चढ़ई पुलिया पर शाम को जितेंद्र यादव को वापस घर जाते समय रोककर पुल से नीचे बगीचे में बैठाकर बातों में उलझाये रखा तथा मृतक जितेन्द्र के गले में पहले से लगे गमछे से गला कसकर हत्या कर दिया। मृतक के बेल्ट से पैर बांधकर तमसा नदी में फेंक दिया तथा मृतक जितेन्द्र यादव के पास से 43000/- रुपये लूट कर फरार हो गये।

विवेचना के दौरान अभियुक्त श्रवण यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी चढ़ाई थाना रानी की सराय आजमगढ़ व उसकी मां विमला देवी पत्नी रामजीत यादव निवासी चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को दिनांक 17/18.11.2022 की रात्री मे गिरफ्तार कर लिया गया इनके पास से लूट के (7200+10600) कुल 17800/- रु0 बरामद हुआ है।

घटना का अनावरण

आज दिनांक 18.11.2022 को SHO दिलीप कुमार सिंह मय हमराह को मुखविर से सूचना मिली कि कन्धरापुर मे युवक की हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त भोर्रा मकबुलपुर से सेहदा की तरफ आ रहा है कही जाने के फिराक मे है जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है.

इस सूचना पर SHO दिलीप कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मौके पर पहुचकर चेकिगं के दौरान टार्च की रोशनी मे सामने से आ रही मोटर साइकिल को रोकने का प्रयास किया गया जिस पर पुलिस वाले को देखकर कर मोटर साईकिल सवार पीछे मुडकर भागने के असफल प्रयास के दौरान अचानक फिसल कर गिर गया। पुलिस से घिरता देखकर प्र0नि0 को लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से दो फायर किया पुलिस द्वारा अत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही मे बदमाश के बाये पैर मे गोली लगने से घायल होकर गिर गया जिसको समय 05.35 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मंदीप यादव उर्फ लाला यादव पुत्र साहब लाल यादव निवासी चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के रूप मे हुई। **अभियुक्त मंदीप यादव के पास से मुकदमा उपरोक्त में लूटी गयी एक मोटर साइकिल हिरो स्पेलेन्डर प्लस व 9000 रुपया बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त को चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।** गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि शेष लूट के पैसे मेरे भाई प्रदीप यादव के पास है, उसको जानकारी है कि यह पैसे लूट के है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आज दिनांक 18.11.2022 को थाना कन्धऱापुर पुलिस टीम द्वारा प्रदीप यादव पुत्र साहबलाल यादव निवासी चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके पास से लूट के 14000/- रू0 बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मंदीप यादव उर्फ लाला यादव पुत्र साहब लाल यादव निवासी चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ (मुठभेंड मे घायल)

प्रदीप यादव पुत्र साहब लाल यादव निवासी चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

श्रवण यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी चढ़ाई थाना रानी की सराय आजमगढ़

विमला देवी पत्नी रामजीत यादव निवासी चड़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

बरामदगी

01 अवैध तमंचा .32 बोर

02 खोखा कारतूस

01 जिन्दा कारतूस

01 मोटर साइकिल

कुल 40800/- रुपये नगद (लूट के)

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 267/2022 धारा 302/201/34/394/411 भादवि

2- मु0अ0सं0 274/2022 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 267/2022 धारा 302/201/34/394 भादवि
2. मु0अ0सं0 274/2022 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO दिलीप कुमार सिंह 2. उ0नि0 जाफर खां 3.का0 अरुण कुमार पाण्डेय 4. का0 भवानीदीन
2. का0 यशवन्त कुमार (सर्विलांस) 2.आलोक कुमार सिंह (सर्विलांस) 3. अभिमीत (स्वाट) 4. सुनिल प्रजापति (स्वाट)

थाना – सिधारी

छेड़खानी में वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना

आवेदिका द्वारा जनपद आजमगढ़ मा0न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गयी थी कि वादिनी का पडोसी आये दिन वादिनी को देखकर अश्लील हरकत व छींटाकसी करना व दिनांक 14.08.2022 को वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के छाती को छूना व छेड़खानी करना तथा वादिनी द्वारा विरोध करने पर वादिनी व वादिनी की सास को गाली गुफ्ता देते हुए मारना पीटना जिसकी शिकायत अभियुक्त के पिता से करने पर अभियुक्त के पिता द्वारा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 397/2022 धारा 323/504/506/354(ख)/452/509 भादवि बनाम 1. विपिन पुत्र शेखराज, 2. शेखराज पुत्र अज्ञात साकिनान सरायसादी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 18.11.2022 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 जगदीश सिंह, हे0कां0 संतोष यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र शेखराज राम निवासी सरायसादी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को उसके घर ग्राम सरायसादी से समय 04.55 सुबह बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 397/2022 धारा 323/504/506/354(ख)/452/509 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विपिन कुमार पुत्र शेखराज राम निवासी सरायसादी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 10/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 22/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 27/21 धारा 401/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 397/2022 धारा 323/504/506/354(ख)/452/509 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2.उ0नि0 जगदीश सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3.हे0कां0 संतोष यादव थाना सिधारी आजमगढ़

थाना – निजामाबाद

चोरी में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना

वादी मुकदमा सोफियान अहमद पुत्र स्व0 कल्लन निवासी मुस्लिमपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा वादी के किराने की दुकान(गुमटी) से पटरा निकालकर पैसे व किराने के सामान चोरी कर लेने के सम्बंघ में अभियुक्त वाहिद पुत्र शेरअली निवासी मुस्लिमपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 17.11.2022 को थाना स्थानीय शिकायत की गयी थी जिसके पर मु0अ0सं0 486/22 धारा-380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 18.11.2022 को उ0नि0 मो0 शमशाद खां मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त वाहिद पुत्र शेरअली निवासी मुस्लिमपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़ को पंडिताइन की पुलिया से समय करिब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से चोरी गये 1700/- रु बरामद हुये है। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 486/22 धारा-380/411 भादवि पंजीकृत थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

वाहिद पुत्र शेरअली निवासी मुस्लिमपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़।

बरामदगी

चोरी के 1700 रुपये। .

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 शमशाद खां थाना निजामाबाद, आजमगढ
2. का0 रजत त्रिपाठी थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

ढ़ाबे पर मार - पीट और तोड़ फोड़ करने वाले 10 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना

दिनाक 17.11.2022 को वादी मुकदमा शाह आलम पुत्र मो0 वकील ग्राम लोहरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादी अपने ढाबा जमुड़ी बाजार पर काउन्टर पर बैठा था कि ढाबे पर खाना खाने हेतु 1.शनि यादव पुत्र नरेन्द्र यादव 2.मन्नू यादव पुत्र ज्ञान चन्द यादव 3.गोविन्द प्रजापति पुत्र गयादीन प्रजापति निवासीगण रेलवे स्टेशन थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 4. रवी यादव पुत्र लालधर यादव निवासी मोहदल्ला थाना सिधारी 5. राधेश्याम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी पल्हनी थाना सिधारी 6. विकास यादव पुत्र सन्तोष यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी 7.आशीष यादव पुत्र जंगबहादुर यादव 8. वरुण यादव पुत्र अज्ञात नि0 गण वेलइसा थाना सिधारी 9.जितेन्द्र कुमार पुत्र वासुदेव 10.रवि गौड़ पुत्र स्व0 विस्सू गौड़ 11. पंकज यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी रामपुर थाना सिधारी 12. रंगीला यादव पुत्र अज्ञात नि0 जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ आये थे, खाना खाने के पश्चात पैसा न देने की बात को लेकर ढाबा के कर्मचारीयों को गाली गलौच देते हुए ढाबे में टेबल,गेट,कुर्सी सी.सी.टी.वी. कैमरा का मानीटर ,फ्रिज ,टिन सेट,कैस काउन्टर आदि सामानो को तोड़ कर नष्ट कर दिये तथा लाठी डंडो व इट पत्थर चलाकर दौड़ा-दौड़ा कर वेटर, कुक, वाचमैन को मारे पिटे जिससे उपरोक्त तीनो व्यक्तियों को काफी चोटे आई जिसमें वाचमैन हरेन्द्र नाथ सिंह उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को काफी चोटे आयी एवं प्रतिवादियों द्वारा कैस काउन्टर से कुछ पैसा भी निकाल कर चले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-361/22 धारा 34,323,504,506,336,352,379,386,427,308 भादवि बनाम शनि यादव पुत्र नरेन्द्र यादव आदि 12 नफर अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार चौबे द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 18.11.2022 को उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार चौबे मय उ0नि0 दशाराज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1.सनी यादव पुत्र नरेन्द्र यादव सा0 सर्फूद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 2.मन्नू यादव पुत्र ज्ञान चन्द यादव सा0 सर्फूद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 3.गोविन्द प्रजापति पुत्र गयादीन प्रजापति जाफरपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 4. रवी यादव पुत्र लालधर यादव सा0 हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 5. राधेश्याम यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव सा0 पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 6. विकास यादव पुत्र सन्तोष यादव सा0 जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 7.आशीष यादव पुत्र जंगबहादुर यादव सा0 पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 8 .जितेन्द्र कुमार पुत्र वासुदेव सा0 हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 9.रवि गौड़ पुत्र स्व0 विस्सू गौड़ सा0 हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 10. पंकज यादव पुत्र हरिकेश यादव सा0 रामपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को समय करीब 01.45 बजे वेलकम ढाबा के सामने से ही गिरफ्तार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 361/2022 धारा 323,504,506,336,352, 379,386,427,308,34 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे, थाना मुबारकपुर जनपद आजमढ़।

उ0नि0 दशाराज सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमढ़।

का0 मुन्ना यादव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमढ़।

का0 अनिरूद्ध यादव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमढ़।

का0 अजय कुमार, थाना मुबारकपुर जनपद आजमढ़।

का0 सत्येन्द्र प्रजापतिन, थाना मुबारकपुर जनपद आजमढ़।

म0का0 वन्दना सरोज, थाना मुबारकपुर जनपद आजमढ़।

थाना रौनापार

छात्रा से अभद्रता व मारपीट करने वाला प्रबन्धक गिरफ्तार

पूर्व की घटना

वादीनी मुकदमा द्वारा थानास्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादी की पुत्री से विद्यालय प्रबन्धक जितेन्द्र यादव द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बुरी नजर रखना व अपनी आफिस मे बुलाना न जाने पर विद्यालय की कक्षा 10वी का छात्राओं से झगड़ा मार पीट करावाना जिसकी शिकायत प्रबन्धक से करने पर वादी की पुत्री को मारकर भगा देना तथा आवेदिका द्वारा शिकायत करने पर अपशब्द व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धक्का देकर भगा देना तथा घर जाकर पीड़िता को धमकाना व मार पीट करने के सम्बन्ध मे थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 384/22 धारा 354क,323,504,506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बनाम 1.जितेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामबचन यादव निवासी सोहराभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत विवेचना आरम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 18.11.2022 को उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.जितेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामबचन यादव निवासी सोहराभार थाना रौनापार को ओम शान्ति शिक्षा निकेतन सोहराभार से समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 384/22 धारा 354क,323,504,506 भादवि0 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

जितेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामबचन यादव निवासी सोहराभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 श्री गोपाल प्रसाद मौर्य थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

का0 सत्येन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़